माननीय न्यायमूर्ति एम. आर. अग्निहोत्री और एन. के. सोधी के समक्ष

अजय मलिक,-याचिकाकर्ता।

बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय अपने पंजीकरण और दोनों द्वारा से-उत्तरदाता।

1991 की सिविल रिट याचिका *1730*

29 जनवरी, *1992*

भारत का संविधान, *1950*-अनुच्छेद*226/227, 254*—एडोकेट्स अधिनियम *(1961)*-धारा *49 (1) (*ए. एफ.*)*-एल. एल. बी. पाठ्यक्रम में प्रवेश-बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से उच्च योग्यता निर्धारित करने की स्वतंत्रता-विश्वविद्यालय के नियमों और विनियमों पर प्रबल नहीं होने के लिए बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियम-संविधान के अनुच्छेद *254* को लागू नहीं किया जा सकता है।

ये निर्धारित किया गया कि माननीय के उस उपखंड *(*ए. एफ.*)* की सराहना की जानी चाहिए *(*आई*)*।*1961* के अधिनियम की धारा *49* केवल बार काउंसिल को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कानून की डिग्री में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है और यह नहीं कि विश्वविद्यालय ऐसी कोई पात्रता निर्धारित नहीं कर सकता है जो बार काउंसिल द्वारा निर्धारित योग्यता से अधिक हो।इसलिए, यह विश्वविद्यालय के लिए एक उच्च योग्यता निर्धारित करने के लिए खुला है और *1961* के अधिनियम के तहत इसकी अनुमति है।

*(*पैरा *7)*

एचफेल्ड ने आगे कहा कि विश्वविद्यालय अपनी ओर से छात्रों को प्रवेश देते समय हमेशा बार काउंसिल द्वारा निर्धारित न्यूनतम से अधिक मानदंड तैयार कर सकता है और केवल इसलिए कि दो मानदंड अलग-अलग हैं, उन्हें असंवेदनशील नहीं बनाता है ताकि संविधान के अनुच्छेद *254* के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके।

*'(*पैरा

याचिकाकर्ता की ओर से शिव कुमार शर्मा, अलवोकाटक के साथ अधिवक्ता बी. एस. मलिक।

पी; एस. गोराया, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या *1* से *3* के लिए।

आर. एस. चाहर, अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या *4* की ओर से।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति एन. के. एस.

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद *226* के तहत इस याचिका में निर्णय के लिए कानून का प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या पंजाब विश्वविद्यालय अधिनियम, *1947 (*संक्षेप में, *'*अधिनियम*')* के तहत गठित पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ *(*जिसे इसके बाद *'*विश्वविद्यालय*'* कहा जाता है*)* एल. एल. बी. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के माननीय में प्रवेश के लिए पात्रता की शर्त तय कर सकता है, जो अधिवक्ता अधिनियम, *1961 (*जिसे इसके बाद *'1961* अधिनियम*'* के रूप में संदर्भित किया गया है*)* की धारा *49 (1) (*ए. एफ.*)* के तहत भारतीय बार काउंसिल द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अधिक है।
2. याचिका दायर करने के लिए संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं *:—*

3. याचिकाकर्ता जिसने वर्ष *1990-91* में *40.78* प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय से कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की, उसने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम एल. एल. बी. के प्रथम वर्ष के वर्ग में प्रवेश के लिए आवेदन किया।यह विवादित नहीं है कि विधि विभाग में *15* सीटें खिलाड़ियों और याचिकाकर्ता के लिए आरक्षित थीं जो एक उत्कृष्ट खिलाड़ी होने का दावा करता है, उसने इन आरक्षित सीटों में से एक के लिए आवेदन किया।यह उनका मामला है कि खेलों में उनके पिछले प्रदर्शन, विशेष रूप से क्रिकेट के खेल में और विश्वविद्यालय की खेल समिति द्वारा *17* सितंबर, *1991* को आयोजित परीक्षणों के आधार पर,उक्त समिति द्वारा एल. एल. बी. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष वर्ग में प्रवेश के लिए उनकी सिफारिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद, कानून; विभाग ने उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया, जबकि खेल श्रेणी में उनसे बहुत कम उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया था।याचिकाकर्ता के प्रवेश से इनकार करने का एकमात्र कारण यह था कि वह अयोग्य पाया गया क्योंकि उसने स्नातक की डिग्री में कुल अंकों के *45* प्रतिशत की आवश्यकता को पूरा नहीं किया जो उक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक था।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि उनके पास *1961* के अधिनियम की धारा *49 (1) (*ए. एफ.*)* द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित डिग्री आई. आर. आई. कानून के लिए पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता थी, इसलिए वह पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए या कम से कम खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीटों में से एक के लिए प्रवेश के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र थे और स्नातक की डिग्री की उक्त न्यूनतम योग्यता विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी थी जो इस उद्देश्य के लिए कोई उच्च योग्यता निर्धारित नहीं कर सकती थी।
4. याचिकाकर्ता के विवाद के कारण *1961* के अधिनियम की धारा *7* और *49* और उसके तहत बनाए गए बार काउंसिल ऑफ इंडिया नियमों में प्रवेश के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लेख करना आवश्यक हैः—

‘‘पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर माननीय *II, 1988*।

‘विधि संकाय ’

बैचेलोर ऑफ लॉज

1. *XXXX <x <XXX*
2. *XXXXXX <XXX*
3. एल. एल. बी. पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के वर्ग में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता निम्नलिखित में से एक होगीः
1. कुल अंकों के कम से कम *45* प्रतिशत के साथ पंजाब विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय में स्नातक की डिग्री;
2. किसी अन्य विश्वविद्यालय के किसी भी संकाय में डिग्री जो संबंधित डिग्री के समकक्ष के रूप में मान्यता प्राप्त हो

पंजाब विश्वविद्यालय, कम से कम *45* प्रतिशत अंकों के साथ।

प्रदान किया गया *XXXX*

बशर्ते कि पंजाब विश्वविद्यालय भारत के किसी अन्य विश्वविद्यालय की डिग्री को मान्यता दे सकता है यदि इसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त है।

अधिवक्ता अधिनियम, *1961* की धारा *7 (1):*

भारत के बार काउंसिल ए के कार्यःबार काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य निम्नानुसार हैं -

1. *x x x x*
2. *x x x x*
3. *x x x x*
4. *x x x x*
5. *x x x x*

6. *x x x x*
7. *x x x x*
8. कानूनी शिक्षा को बढ़ावा देना और ऐसी शिक्षा प्रदान करने वाले भारत के विश्वविद्यालयों और राज्य बार परिषदों के परामर्श से ऐसी शिक्षा के मानकों को निर्धारित करना।

अधिवक्ता अधिनियम, *1961* की धारा *49:*

भारतीय विधिज्ञ परिषद की नियम बनाने की सामान्य शक्तिः—

1. भारतीय बार काउंसिल इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए नियम बना सकती है, और विशेष रूप से, ऐसे नियम निर्धारित कर सकते हैं-

(ए) * * * * * * *

*(*आब*)* * * * * * * * *

*(*एसी*)* * * * * * * * *

*(*विज्ञापन*)* * * * * * * * *

(ae) * * * * * * * *

*(*ए. एफ.*)*-किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कानून में डिग्री के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता*;*

** ** ** ** ** **

** ** ** ** ** **

बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम

भाग *IV*

माननीय-बी।

1. अधिनियम की धारा *24 (1) (*ग*) (iiia)* में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर, *12* मार्च, *1967* के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी विश्वविद्यालय से प्राप्त कानून की डिग्री को अधिनियम की धारा *24 (1) (*ग*) (iii)* के प्रयोजनों के लिए तब तक मान्यता नहीं दी जाएगी जब तक कि निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं होती हैंः—

   *(*क*)* कि कानून में डिग्री के लिए कानून के पाठ्यक्रम में शामिल होने के समय, वह किसी विश्वविद्यालय का स्नातक है या उसके पास ऐसी शैक्षणिक योग्यताएँ है जिसे भारतीय बी-आर परिषद द्वारा विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री के बराबर माना जाता है*;*

*(*ख*)* ** ** **

*((*ग*)* ** ** **

** ** ** **

** ** ** **»

5. द द*!1 1961*संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियम भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-*III* की प्रविष्टि-*26* के अंतर्गत आता है, जो निम्नानुसार हैः—

*"*कानूनी, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय।*"*

1961 के अधिनियम की धारा *7* और *49 (1)* को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानूनी शिक्षा के मानकों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है और इसे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई कानून की डिग्री को मान्यता देने के उद्देश्य से कानून पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तों को निर्धारित करने का भी अधिकार है।

अधिकारियों को प्रवेश के उद्देश्य से उच्च योग्यता निर्धारित करने से रोकें।*"*

निर्णय के पैरा *13* में फिर से यह निष्कर्ष निकला कि "आधिकारिक घोषणाओं को देखते हुए, हमारा विचार है कि किसी विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य के लिए न्यूनतम निर्धारित योग्यता से अधिक उच्च योग्यता निर्धारित करने में कुछ भी गलत नहीं है।*"* कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा शोभना कुमार एस. और अन्य बनाम मैंगलोर विश्वविद्यालय और अन्य *(6)* मामले में इसी तरह का विचार रखा गया है।

8. इस प्रकार, उनके खिलाफ रिट याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्क का जवाब देते हुए, यह माना जाता है कि विश्वविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित पात्रता की शर्त से बाध्य नहीं है और यदि 'पूर्व' ने बार काउंसिल द्वारा निर्धारित शर्त से कम कोई शर्त निर्धारित की है, तो 'उत्तरार्द्ध' के लिए विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई डिग्री को मान्यता नहीं देना खुला होगा।अन्यथा, बार काउंसिल द्वारा जो निर्धारित किया गया है वह प्रवेश के लिए केवल न्यूनतम योग्यता है और इसलिए, एल. एल. बी. पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देते समय उच्च योग्यता निर्धारित करने के लिए विश्वविद्यालय खुला है।
9. अपने प्राथमिक तर्क में विफल होने के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तब आग्रह किया कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित योग्यता की शर्त के अनुसार स्नातक की डिग्री में कुल अंकों के *45* प्रतिशत की आवश्यकता बार काउंसिल द्वारा बनाए गए नियमों के विपरीत थी, जिसके तहत आवश्यकता केवल किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक होने की थी और इसलिए, बाद वाला प्रबल होगा।इस प्रकार, तर्क यह है कि *1961* के अधिनियम के तहत बनाए गए नियम, जो संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-*I* की प्रविष्टियां *77*और *78* के तहत कानूनी शिक्षा के विशेष क्षेत्र को शामिल करते हैं, विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गए विनियमन पर प्रबल होने चाहिए, जो एक कानून के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करता है जो सातवीं अनुसूची की सूची-*III* की प्रविष्टि-*25* से संबंधित है।इस प्रस्तुतिकरण में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि हम दोनों प्रावधानों के बीच कोई प्रतिकूलता नहीं मानते हैं।जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, *1961* का अधिनियम बार काउंसिल को किसी भी विश्वविद्यालय में विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता प्रदान करने वाले नियम बनाने के लिए अधिकृत करता है।विश्वविद्यालय अपनी ओर से छात्रों को प्रवेश देते समय हमेशा बार काउंसिल द्वारा निर्धारित न्यूनतम से अधिक मानदंड तैयार कर सकता है और केवल इसलिए कि दो मानदंड हैंः यह उन्हें संविधान के अनुच्छेद *254* के प्रावधानों को आकर्षित करने के लिए अप्रिय नहीं बनाता है।मामले के इस दृष्टिकोण में,हमें रिट याचिकाकर्ता की ओर से उद्धृत मामले के कानून का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पाते हैं कि यह वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए प्रासंगिक नहीं है।
10. अंत में, यह आग्रह किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया विनियमन-*5* जिसमें स्नातक की डिग्री में कुल अंकों के कम से कम *45* प्रतिशत की आवश्यकता होती है,मनमाना है और संविधान के अनुच्छेद *14* का उल्लंघन करता है क्योंकि यह उम्मीदवारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करता है-जिनके पास कुल मिलाकर *45* प्रतिशत या उससे अधिक अंक हैं और अन्य जिनके पास *45* प्रतिशत से कम अंक हैं।याचिकाकर्ता के वकील के अनुसार, वर्गीकरण

अस्वीकार्य है क्योंकि इसका प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है।इस तर्क को केवल अस्वीकार करने के लिए देखा जाना चाहिए।हमारी राय में, विनियमन मनमाना नहीं है और यह विश्वविद्यालय के लिए अपने विद्या सम्बन्धी मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से अपने पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए कोई भी योग्यता निर्धारित करने के लिए खुला है जो न्यूनतम निर्धारित से अधिक हो सकती है।वास्तव में, इस संबंध में कोई सार्थक तर्क नहीं दिया जा सकता था।

11. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, हम रिट याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं और लागत के बारे में कोई आदेश दिए बिना इसे खारिज कर दिया जाता है।

अस्वीकरण *:* स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझसके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिकउद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्तरहेगा ।

अक्षय कुमार

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम, हरियाणा